बिहार सरकार

भवन निर्माण विभाग

का0आ0सं0– भवन/भू–सम्पदा–09–02(अराजपत्रित)–01/2024 113 पटना, दिनांक–07/08/26

'कार्यालय आदेश'

पूर्वादेश को विखंडित करते हुए निम्नांकित अराजपत्रित कर्मियों को पटना केन्द्रीय पूल से नियमानुसार आदेय किराया एवं करों के भुगतान की शर्त्त पर आवास आवंटित किया जाता है:–

क्र0	Reg.No	नाम/पदनाम	विभाग/कार्यालय का नाम	आवंटित आवास
1.	BN5674	श्री अरूण कुमार, सिपाही	मुख्यमंत्री सुरक्षा	262/800, 800 सेट, शास्त्रीनगर
2.	BN8568	श्रीमती मधु कश्यप एस0आई0	मुख्यमंत्री सुरक्षा	723/800, 800 सेट, शास्त्रीनगर
3.	BN8510	श्री कुन्दन कुमार चौधरी, सार्जेंट	मुख्यमंत्री सुरक्षा	765/800, 800 सेट, शास्त्रीनगर
4.	BN7597	श्री विकास कुमार सिंह, कनीय सचिवालय सहायक	, खेल विभाग	157/800, 800 सेट, शास्त्रीनगर
5.	BN8539	श्री उपेन्द्र कुमार गोस्वामी, चालक	वित्त विभाग	724/800, 800 सेट, शास्त्रीनगर
6.	BN8501	श्रीमती अनामिका, अग्निशामालय पदाधिकारी	राज्य अग्निशमन पदाधिकारी का कार्यालय	सी/81, बैंक रोड
7.	BN8351	श्री शैलेन्द कुमार, कनीय सचिवालय सहायक	भवन निर्माण विभाग	सी/63, 79 एम0 ओ0 सेट, पुनाईचक
8.	BN7584	श्री दिनेश कुमार शर्मा, चालक	राजस्व पर्षद	51/96, 96 सेट, शेखपूरा
9.	BN8556	श्री पप्पु कुमार, कार्यालय परिचारी	भवन निर्माण विभाग	A/10 रोड नं0–02, आर ब्लॉक,

2. यदि भविष्य में ज्ञात होता है कि गलत सूचना के आधार पर किसी अपात्र कर्मी को आवास आवंटित हो गया है तो संज्ञान में आते ही सरकारी आवास आवंटन (पटना केन्द्रीय पूल) नियमावली, 1986 के तहत उक्त आवास आवंटन को रद्द किया जाएगा तथा ऐसे आवंटी के विरूद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जायेगी।

3. सरकारी आवास आवंटन (पटना केन्द्रीय पूल) नियमावली, 1986 के नियम–10 के अधीन आवंटी पदाधिकारी/कर्मचारी आदेश निर्गत की तिथि से 30 दिनों के अन्दर अधोहस्ताक्षरी को सूचित करेंगे कि उन्हें आवंटित आवास स्वीकार है अथवा नहीं। यदि आवंटित आवास स्वीकार है तो उक्त अवधि के अन्दर आवास अधिग्रहण कर भवन निर्माण विभाग को तदनुसार सूचित करेंगे। उक्त अवधि में आवंटी पदाधिकारी/कर्मचारी से कोई सूचना प्राप्त नहीं होने की स्थिति में उनका आवंटन स्वतः रद्द समझा जायेगा।

4. नये आवंटी कर्मी संबंधित कार्यपालक अभियंता से सम्पर्क स्थापित कर आवंटित आवास का प्रभार लेकर उसकी सूचना अधोहस्ताक्षरी को देंगे।

D: Seema/karyalay Adesh/ 460

5. स्थानान्तरण या अन्य कारणों से पटना स्थित पात्र कार्यालय में पदस्थापन की अवधि समाप्त होने पर उनका आवंटन स्वतः रद्द समझा जाएगा और उनसे सरकारी आवास आवंटन (पटना केन्द्रीय पूल) नियमावली, 1986 के नियम–11(2) में विहित प्रावधानों के अनुसार मानक किराया /दण्ड किराया लिया जाएगा तथा नियमानुसार निष्कासन की कार्रवाई की जाएगी।

6. पटना से बाहर स्थानांतरण के उपरांत आवास दखल में रखने की अनुमान्य अवधि मात्र 1 (एक) माह है। उक्त अवधि के पश्चात मानक किराया का 30 गुना प्रति माह की दर से दण्ड किराया एवं मासिक मेंटेनेंश चार्ज वसूल किया जायेगा तथा निष्कासन की भी कार्रवाई की जायेगी।

7. भवन निर्माण विभाग के पूर्व लिखित अनुमति लिए बिना आवासी द्वारा कोई निर्माण कार्य नहीं किया जायेगा। यदि कोई पदाधिकारी/कर्मचारी आवास के किसी भी भाग में अनधिकृत्त रूप से कोई निर्माण कार्य करे ; अथवा आवास का या उसके किसी भाग का उपयोग किसी ऐसे प्रयोजन के लिए करे जिस प्रयोजन के लिए वह नहीं बना है, तो आवास आवंटन (पटना केन्द्रीय पूल) नियमावली,1986 के नियम–22 के तहत भवन सचिव आवास का आवंटन रद्द कर सकेंगे तथा संबंधित पदाधिकारी के विरूद्ध अनुशासनिक कार्रवाई भी की जा सकेगी।

8. आवास परिवर्तन हेतु कोई भी अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जायेगा।

9. निजी कारणों से यदि आवंटी द्वारा आदेश निर्गत होने के 30 दिनों के अन्दर आवंटित आवास का प्रभार नहीं लिया जाता है तो आवास आवंटन नियमावली–1986 के नियम–10 तथा भवन निर्माण विभाग के संकल्प संख्या–1292(भ), दिनांक 01.03.1997 के नियम–6 (ख) के तहत एक वर्ष तक उन्हें कोई दूसरा आवास आवंटित नहीं किया जायेगा और उक्त आवास दूसरे पात्र पदाधिकारियों को आवंटित कर दिया जायेगा।

10. सरकारी आवास संबंधी किसी भी विषय, विवाद या अनियमितता को आवास आवंटन नियमावली, 1986 के नियमों के अनुरूप निस्तारित किया जाएगा।

11. प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह0/–

(शिव रंजन)

संयुक्त सचिव–सह–भू–सम्पदा पदाधिकारी

ज्ञापांक:–भवन/भू–सम्पदा–09–02(अराजपत्रित)–01/2024– 7379(भ) पटना, दिनांक:– 07/08/26

प्रतिलिपि:–माननीय मंत्री, भवन निर्माण विभाग के आप्त सचिव/सचिव के आप्त सचिव, भवन निर्माण विभाग/सभी संबंधित आवंटी कर्मियों/मुख्य अभियंता(पटना)/कार्यपालक अभियंता, पटना पश्चिम भवन प्रमंडल, दानापुर/कार्यपालक अभियंता, पाटलिपुत्र भवन प्रमंडल/कार्यपालक अभियंता, पटना भवन प्रमंडल/कार्यपालक अभियंता, कर प्रमण्डल/विद्युत कार्य प्रमण्डल सं0–1 एवं 03/कार्यपालक अभियंता, नई राजधानी प्रमण्डल (पेसू)/निदेशक (तकनीकी), एन.आई. सी/आई0टी0 मैनेजर, भवन निर्माण विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

7/8/26

संयुक्त सचिव–सह–भू–सम्पदा पदाधिकारी।

D: Seema/karyalay Adesh/ 461